

प्रक.

आयुक्त,
मुरादाबाद मण्डल,
मुरादाबाद।

सेवा में

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केंद्र-2, समुदाय केंद्र, प्रीति विहार,
नई दिल्ली।

संख्या 14-71

विषय :-

/27-59 (2008-09) जे0ए0

दिनांक : 30-06-2010

बिल्सोनिया स्कालर्स होम, पाकबाड़ा, मुरादाबाद को सी0बी0ए0ए0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये अवगत कराना है कि बिल्सोनिया स्कालर्स होम, पाकबाड़ा, मुरादाबाद विद्यालय को सी0बी0ए0ए0ई0 नई दिल्ली से प्रतिजनित सम्बद्धता हेतु अनापति प्रमाण पत्र दिये जाने में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2- विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद/बैरिड शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मांगता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेटल होई आफ सेकेण्ड्री एजुकेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मांगता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- 5- संस्था के शैक्षिक एवं विद्यार्थी कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुसूच्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 6- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अरासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों के अनुसूच्य सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 7- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- 8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पत्रिकाओं में रखा जायेगा।
- 9- राज्य सरकार एवं सी0बी0ए0ए0ई0 नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपस्थिति, सम्बद्धता से पूर्व संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
- 10- उक्त विद्यालय का संचालन अनापति प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत भू-अभिलेखों में उल्लिखित ग्राम पाकबाड़ा, तहसील व जिला-मुरादाबाद जिला गाटा सं० 1222/3, 1222/4, 1222/5, 1222/6 एवं 1213 की भूमि कुल रकबा 7310 वर्गमीटर तथा गाटा सं० 1222/7 का रकबा 0.09619 हे० में निर्मित भवन व भूमि पर ही किया जायेगा, भूमि का प्रयोग अन्य किसी प्रयोजन हेतु करने तथा विद्यालय को अन्यत्र संचालित करने पर वह अनापति स्वतः समाप्त सम्पन्नी जायेगी।
- 11- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन नही किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या त्रुटि मिलती बरती जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(एस0 वैकटेश्वर त्रु.)
आयुक्त।

संख्या एवं दिनांक उक्त :-

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचाना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, माध्यमिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।
- 2- शिक्षा निदेशक (ग०), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- निरीक्षक, अंग्रेज भारतीय विद्यालय संग्रह, लखनऊ।
- 4- जिलाधिकारी मुरादाबाद।
- 5- संयुक्त शिक्षा निदेशक, हादरा मण्डल, मुरादाबाद।
- 6- जिला विद्यालय निरीक्षक, मुरादाबाद।
- 7- प्रबंधक, बिल्सोनिया स्कालर्स होम, पाकबाड़ा, मुरादाबाद।

(एस0 वैकटेश्वर त्रु.)
आयुक्त।

पेस/27-59/14-71/सी०-०१

Attested copy
SHWETANGANA SANTRAM
PRINCIPAL
WILSONIA SCHOLARS HOME